



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052021-226845
CG-DL-E-05052021-226845

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1612]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 5, 2021/वैशाख 15, 1943

No. 1612]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 5, 2021/VAISAKHA 15, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2021

का.आ. 1739(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 26, नवम्बर 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4232 (अ) तारीख 24 नवम्बर 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के औरैया जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, रख-रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, अमर उजाला और दैनिक जागरण में तारीख 14 जनवरी, 2021 को प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया, तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए औरैया जिले के अन्दर संरचना सहित या उसके बिना आने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र० सं०	तहसील	ग्राम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल हेक्टेअर/मीटर में	भू-स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
(1)	(बिधूना)	(बैसोली देहात)	396/2	निजी	कृषि	0.0081	रघुवीर सिंह, जयवीर सिंह, उदयवीर सिंह पुत्रगण बालकराम।
			396	निजी	कृषि	0.0439	उदयवीर पुत्र बालकराम।
			398	निजी	कृषि	0.0830	रामा देवी पत्नी बालकराम।
			398मि०	निजी	कृषि	0.0410	रघुवीर सिंह, जयवीर सिंह, उदयवीर सिंह पुत्रगण बालकराम।
			399	निजी	कृषि	0.0920	सत्यराम सिंह, लाल सिंह, महेन्द्र सिंह पुत्रगण प्रताप सिंह, करन सिंह, अतर सिंह पुत्रगण फतेह सिंह, आलोक कुमार, विवेक कुमार ना०बा० उम्र 15 व 12 वर्ष सं० सुषमा देवी मां पुत्रगण सुरेशचन्द्र, सुषमा देवी पत्नी सुरेश सिंह।
			518/2	निजी	कृषि	0.0320	विश्राम सिंह पुत्र सीताराम।
			518मि०	निजी	कृषि	0.2040	बाबूराम पुत्र राम सिंह।
			519	निजी	कृषि	0.0560	मुहर सिंह, मुकट सिंह पुत्रगण गजाधर सिंह, सुखवीर सिंह, सुनील कुमार पुत्रगण मंगल सिंह।

[फा.सं. 2020/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2150]

ए.के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु. और स्टे.वि.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2021

S.O. 1739(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 4232 (E), dated the 24th November 2020, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 26th November 2020 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Auraiya in the State of Uttar Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers Amar Ujala and Dainik Jagran, dated the 14th January, 2021 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections have been received and the same have been considered by the competent authority accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Auraiya in the State of Uttar Pradesh.

Serial Number	Taluka	Village	Survey number	Type	Nature	Area in hectare/Square metre	Name of the land owner/ interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	Bidhuna	Baisoli Dehat	396/2	Private	Agricultural	0.0081	Raghuveer Singh, Jaiveer Singh, Udaiveer Singh S/o Balakram.
			396	Private	Agricultural	0.0439	Udaiveer S/o Balakram.
			398	Private	Agricultural	0.0830	Rama Devi W/o Balakram.
			398fe0	Private	Agricultural	0.0410	Raghuveer Singh, Jaiveer Singh, Udaiveer Singh S/o Balakram.
			399	Private	Agricultural	0.0920	Satyaram Singh, Lal Singh, Mahendra Singh S/o Pratap Singh, Karan Singh, Atar Singh S/o Fateh Singh, Alok Kumar, Vivek Kumar Minor Years 15 & 12 Gur.Mother Sushma Devi S/o Suresh Chandra, Sushma Devi W/o Suresh Singh.
			518/2	Private	Agricultural	0.0320	Vishram Singh S/o Sitaram.
			518fe0	Private	Agricultural	0.2040	Baburam S/o Ram Singh.
			519	Private	Agricultural	0.0560	Muhar Singh, Mukat Singh S/o Gajadhar Singh, Sukhveer Singh, Sunil Kumar S/o Mangal Singh.

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/2150]

A.K. SINHA, Executive Director (L&A and SD)